

तारीख
हुकम

09-04-2025

Gen- 2025/10


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 05.12.2019 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 05.12.2019 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 05.12.2019 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम दीपावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 738 में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 05.12.2019 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आदि दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)